(16) सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति में अनियमितताएं, और

(17) "भारत के लोग" परियोजना पर संसाधनों का अपव्यय।

दुर्भावनापूर्ण आरोपों और भा. मा. सं. के संतोषजनक कार्यकरण को मद्देनजर रखते हुए, सरकार इस समय भा. मा. स. में परिवर्तन करना आवश्यक नहीं समझती है।

**Setting up of a National Project on Elephants**

431. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government have decided to establish a national project on elephants;

(b) if so, by when it would be finalised and from where the funds would be arranged; and what would be the cost of the project; and

(c) whether any task force has been set up?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INVIRONMENT AND FORESTS (SHRIMATI MANEKA GANDHI): (a) A special scheme for conservation of elephants in the country titled "Project Elephant" has been included in 8th Plan proposals of this Ministry.

(b) The proposed allocation for the project is Rs. 25 crores. Final approval to the VII Plan proposals has not been accorded by Planning Commission.

(c) Yes, Sir.

**विलम्बित परियोजनाओं की लागत में वृद्धि**

432. **श्री अजीत जोगी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1989 के अन्त तक विलम्बित परियोजनाओं की अनुमानित निर्माण लागत में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) वर्ष 1989 अन्त तक ऐसी विलम्बित परियोजनाओं की संख्या कितनी थी और उन परियोजनाओं की संख्या कितनी थी जिन्हें 1989 के वर्ष के दौरान पूरा कर लिया गया था; और

(ग) इन विलम्बित परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि में किन-कारणों से पूरा नहीं किया जा सका?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेश गोवर्धन):** (क) 31-12-89 को इस मंत्रालय की प्रबोधन प्रणाली में उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रत्येक 20 करोड़ रु. से अधिक लागत वाली केन्द्रीय क्षेत्र की विलम्बित परियोजनाओं की नवीनतम अनुमोदित लागत और प्रत्याशित लागत क्रमश: 42734.0 करोड़ रु. और 52802.1 करोड़ रु. है।

(ख) 31-12-89 को चालू होने की नवीनतम अनुमोदित तारीख के संदर्भ में 163 परियोजनाओं में विलम्ब हुआ है। वर्ष 1988 के दौरान 30 परियोजनाएं पूरी हुई।

(ग) परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब के जिन विभिन्न कारणों का पता लगाया गया है, वे निम्नलिखित हैं:--

-- भूमि के अधिग्रहण में विलम्ब होना;

-- वन/पर्यावरण संबंधी अनुमति प्राप्त करने में विलम्ब तथा आधार संरचना के विकास हेतु अग्रिम कार्रवाई में कमी का होना;

-- परियोजना की तैयारी का पर्याप्त न होना;

-- प्रर्याप्त निधियों/निधियों के स्त्रोतों (बजट संबंधी, आन्तरिक; बजट के अलावा और बाह्य), की व्यवस्था में विलम्ब का होना;

-- प्रौद्योगिकी करारों को अंतिम रूप देने में विलम्ब का होना;

-- विस्तृत इंजीनियरी व्यवस्था को अंतिम रूप देने में विलम्ब का होना;

-- आयात अनुमति का देर से मिलना;

-- परियोजना के कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करना;

-- निविदाएं जारी करने तथा आर्डर देने में विलंब का होना;

-- परियोजना संगठन और परामर्शदाता के उत्तरदायित्व के कार्य क्षेत्र का अस्पष्ट होना;

-- औद्योगिक संबंध तथा कानून और व्यवस्था की समस्याएं;

-- निवेशों की अपर्याप्त आपूर्ति;

-- निर्मित उपस्करों की सप्लाई का अनियमित और विलम्ब से होना;

-- उपस्करों के ठीक से कार्य न करने के कारण प्रारंभिक कठिनाइयों का होना;

-- प्रतिपादित प्रौद्योगिकी का चयन न करना;

-- "इस्तेमाल के अधिकार" की प्राप्ति में विलम्ब होना;

-- परियोजना स्थलों की भू-विज्ञान की स्थिति का जटिल होना;

**20-सूत्री कार्यक्रम का जारी रखा जाना**

433. **श्री अजीत जोगी**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्व सरकार द्वारा शुरु किए गए 20 सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन वर्तमान सरकार द्वारा जारी रखा जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्यक्रम में नीति विषयक अथवा अन्य प्रकार के परिवर्तन किए जाने की सम्भावना है और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके स्थान पर कौन से कार्यक्रम लागू किए जाने की संभावना है?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भाग्ये गोवर्धन)**:

(क) से (ग) 20-सूत्री कार्यक्रम को जारी रखने अथवा उसमें परिवर्तन करने के बारे में निर्णय आठवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देते समय लिया जाएगा।

**गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति**

434. **श्री अजीत जोगी**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1989 के वर्ष के अंत तक देश में ऐसे कितने प्रतिशत परिवार थे जो गरीबी-रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे; और

(ख) इस प्रतिशत में कमी लाने के लिए गरीबी उन्मूलनार्थ भविष्य में कौन सी अतिरिक्त योजनाएं लागू किये जाने की संभावना है?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भाग्ये गोवर्धन)**: (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 43 वें चक्र (जुलाई, 1987 से जुन, 1988) के अन्तिम परिणामों के आधार पर देश में वर्ष 1987-88 के लिए गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों का प्रतिशत अनुपात 29.23 है। वर्ष 1989 की समाप्ति पर देश में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के प्रतिशत अनुपात का अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(ख) पहले से ही कार्यान्वयनाधीन गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों और रोजगार सृजन स्कीमों के अलावा सरकार अन्तिम कदम के तौर पर, चालू वर्ष में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों तथा ग्रामीण बेरोजगारी की ताल्लालिक समस्या से ग्रस्त क्षेत्रों में रोजगार गारंटी स्कीम शुरु करने का प्रस्ताव है जैसीकि बजट में घोषणा की गई है।